



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 12, 2017/आश्विन 20, 1939

No. 2882]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2017/ASVINA 20, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2017

**का.आ. 3297(अ).**—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 अक्टूबर, 2007 में संख्यांक का.आ. 1693(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) सुश्री रीना साहा,  
प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II,  
ओल्ड निजाम पैलेस, प्रथम तल,  
934/4 आचार्य जे.सी.बोस रोड,  
कोलकाता-700020।

सदस्य"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2/23/2006-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1693, तारीख 3 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 69(अ), तारीख 6 फरवरी, 2012, सा.का.नि. सं. 645(अ), तारीख, 15 सितम्बर, 2014, सा.का.नि. सं. 907(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2015, सा.का.नि. 541(अ), तारीख 24 मई, 2016 और सा.का.नि. 855(अ) तारीख 6 सितंबर, 2016 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2017

**S.O. 3297(E).**—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, *vide* number S.O. 1693 (E) dated the 3<sup>rd</sup> October, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 3<sup>rd</sup> day of October, 2007, namely:—

2. In the said notification, for serial number (3) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“(3) Ms. Reena Saha, Member”  
Principal Director and *Ex-officio* Member Audit Board-II,  
Old Nizam Palace, 1<sup>st</sup> Floor,  
934/4 Acharya J. C. Bose Road,  
Kolkata-700020.

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/23/2006-PI]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 1693(E), dated the 3<sup>rd</sup> day of October, 2007 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 6<sup>th</sup> day of February, 2012, G.S.R. 645(E), dated the 15<sup>th</sup> day of September, 2014, G.S.R. 907(E), dated the 30<sup>th</sup> day of November, 2015, G.S.R. 541(E), dated the 24<sup>th</sup> day of May, 2016 and G.S.R. 855(E), dated the 6<sup>th</sup> day of September, 2016.